भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1998

दिनांक 11.05.2016/21 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

दिल्ली में दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को रोकने के लिए उठाए गए कदम

1998. श्री राम कुमार कश्यपः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली की संड़कें रात में अराजक क्षेत्र में बदल जाती है और रात में पैदल चलने वालों तथा दो पहिया चालकों का जीवन भारी संकट में रहता है;
(ख) क्या अधिकांश दुर्घटनाएं लाल बत्ती का उल्लंघन करने वाले चालकों तथा बिना संकेत दिए लेन बदलने के कारण घटित होती हैं;
(ग) क्या रात को 11 बजे के बाद दिल्ली में प्रवेश करने वाले ट्रक तथा डम्पर ओवरलोड तथा तेज गति से वाहन चलाने संबंधी नियमों का उल्लंघन करते हैं तथा रात में होने वाली अधिकांश दुर्घटनाओं में ये ही शामिल रहते हैं;
(घ) गत छह माह के दौरान दिल्ली में रात में हुई दुर्घटनाओं में कितने व्यक्तियों की मौत हुई है ; और
(ङ) दिल्ली में रात में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क): दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि चालू वर्ष (30 अप्रैल, 2016 तक) के दौरान , दो पहिया वाहनों से जुड़ी दुर्घटनाओं में मारे गए 201 लोगों में से 108 लोग रात में हुई दुर्घटनाओं में मारे गए। उक्त अवधि के दौरान, पैदल यात्रियों से जुड़ी दुर्घटनाओं में मारे गए 210 लोगों में से 81 लोग रात में हुई दुर्घटनाओं में मारे गए।

(ख): इस प्रकार का आंकड़ा दिल्ली पुलिस द्वारा एकत्र नहीं किया जाता है।

------2/-

<u>रा.स.अता.प्र.सं.1998</u>

(ग): दिल्ली पुलिस ने विभिन्न प्रकार के यातायात उल्लंघनों के लिए वर्ष 2015 के दौरान 572 भारी सामान वाहनों (एचजीवी), 2445 एलजीवी/एमजीवी और 07 ट्रेलरों तथा वर्ष 2016 (30.04.2016 तक) के दौरान 99 एचजीवी और 363 एलजीवी/एमजीवी पर मुकदमा चलाया है।

परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने वर्ष 2015 और 2016 (30.04.2016 तक) के दौरान ओवर लोडिंग करने वाले वाहनों के खिलाफ निम्नलिखित कार्रवाई की है:

वर्ष	चालान और जब्त किए गए वाहनों की सं.
2015	5406
2016 (30.04.2016 तक)	1039

वर्ष 2015 और 2016 (30.04.2016 तक) के दौरान रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रात के समय ट्रकों और डम्परों से जुड़ी सड़क दुर्घटनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है

वर्ष	दुर्घटनाओं की कुल सं.	घायल हुए व्यक्ति	मारे गए लोग
2015	266	272	89
2016 (30.04.16 तक)	65	71	25

----3/-

रा.स.अता.प्र.सं.1998

(घ): पिछले 6 माह (01.11.2015 से 30.04.2016) के दौरान, रात के समय (रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक) के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में 356 लोगों की मृत्यु हुई है।

(ङ): रात के समय होने वाली सड़क दुघटनाओं पर अंकुश लगाने तथा मोटर चालकों को अनुशासित करने के उद्देश्य से, यातायात पुलिस स्टाफ को सुबह 4 बजे तक तैनात रखा जाता है तथा सड़क दुघटनाओं पर अंकुश लगाने एवं रात के समय, विशेषकर वाणिज्यिक परिवहन वाहनों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक गति से गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने के दृष्टिकोण से संवेदनशील सड़कों पर अनुशासन स्थापित करने के उद्देश्य से दिल्ली के विभिन्न भागों में दिल्ली पुलिस द्वारा विशेष रात्रि चेकिंग सह-गश्त की जा रही है। लगभग 200-250 यातायात पुलिस कर्मी विनियमन और प्रवर्तन ड्यूटियों के लिए रात के समय तैनात होते हैं। इसके अतिरिक्त, 11 मोबाइल इंटरसेप्टरों को उन सड़कों पर व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है जो मोटर चालकों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक गति से गाड़ी चलाए जाने की दृष्टि से संवेदनशील हैं। इंटरसेप्टरों में उपलब्ध गति पहचान प्रणाली के माध्यम से निर्धारित सीमा से अधिक गति से गाड़ी चलाते हुए पाए गए मोटर चालकों और वाणिज्यिक वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है।

*****